भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2720
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दाहोद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लाभार्थी

2720. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान दाहोद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उपयोग की जा रही नई प्रौद्योगिकियों (जैसे ड्रोन-आधारित मूल्यांकन) से जनजातीय किसानों को अधिक राहत मिली है और उनमें विश्वास पैदा हुआ है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। गुजरात सरकार ने प्रारंभ में इस स्कीम को वर्ष 2019-20 तक कार्यान्वित किया था और उसके बाद इस स्कीम से अलग हो गई।

PMFBY में स्कीम के कार्यान्वयन में उन्नत तकनीक के समावेश की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में तकनीकी हस्तक्षेप का विवरण इस प्रकार है:

(क): **येस टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान)** - एक प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली है जिसे देश के 100 जिलों में 2 वर्षों के कठोर परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षणों के बाद विकसित किया गया है। अनुमोदित प्रौद्योगिकियों/उपायों रिमोट सेंसिंग सूचकांकों, मौसम सूचकांकों, फसल फेनोलॉजिकल सूचना, मृदा प्रकार आदि का उपयोग करके जैसे कि प्राप्त आंकड़ों की सहायता से फसल नुकसान का आकलन और उपज का अनुमान लगाया जाता है।

(ख): **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली)** – यह तालुका/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्रों और वर्षामापी यंत्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने की देश की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य सभी किसान और कृषि संबंधी सेवाओं के उपयोग हेतु विभिन्न सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए हाइपर-लोकल मौसम आंकड़ों का एक सुदृढ़ डेटाबेस तैयार करना है।

(ग): **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** - सरकार द्वारा डेटा के एकल स्रोत के रूप में विकसित किया गया है जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सूचना के प्रसार और सेवाओं की प्रदायगी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और दावा राशि का इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में अंतरण सुनिश्चित करता है।

(घ): **डिजी-क्लेम-पेमेंट मॉड्यूल -** यह खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए संचालित एक समर्पित मॉड्यूल है ताकि दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जा सके। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

(ङ): **AIDE (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप):** बीमा मध्यस्थों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से किसानों के द्वार पर नामांकन के लिए खरीफ 2023 में एक स्मार्टफोन ऐप डिज़ाइन और लॉन्च किया गया है। यह किसानों को पूरी तरह से कागज-रहित और नकदी-रहित अनुभव प्रदान करता है।

(च): **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन:** किसानों को अपनी शिकायतें/समस्याएं/प्रश्न दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल और एक कॉल सेंटर वाले अखिल भारतीय एकल नंबर एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

*****